

**सिडबी ने वित्तीय वर्ष 2018 के वार्षिक परिणाम घोषित किए
सर्वोच्च लाभ और बैलेंस शीट आकार ₹.1 लाख करोड़ पार कर गया**

12 मई, 2018, नई दिल्ली में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने अपनी वार्षिक बोर्ड बैठक आयोजित की। श्री मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी ने वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान बैंक के वार्षिक परिणामों की घोषणा की। वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान बैंक के प्रदर्शन के सार को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि सिडबी की बैलेंस शीट ₹. 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है और इसका आकार 36.6% बढ़कर ₹. 1,08,869 करोड़ हो गया है। उन्होंने एमएसएमई पारितंत्र में विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय अंतरालों को भरने के लिए बैंक द्वारा की गई अनेक कार्यनीतिक पहलों पर भी चर्चा की।

वर्ष 2018 में सिडबी की बकाया ऋण राशि 39.5 प्रतिशत बढ़कर ₹. 95,291 करोड़ हो गई। यह सहायता ज्यादातर लघु इकाइयों को प्रदान की गई है। इस वर्ष बैंक को अब तक का सर्वाधिक ₹.1,429 करोड़ का लाभ हुआ। जबकि प्रति शेयर आय (ईपीएस) बढ़कर ₹. 26.87 हो गई, प्रति शेयर बही मूल्य (बुक वैल्यू) ₹.265.52 हो गया। 31 मार्च, 2018 तक, बैंक का सकल एनपीए प्रतिशत 0.94% तक घट गया, जबकि शुद्ध एनपीए प्रतिशत में भी 0.26% तक सुधार हुआ है।

सिडबी का ध्यान मुख्यतः देश के विभिन्न हिस्सों के सूक्ष्म और लघु इकाइयों को अधिक ऋण प्रदान करने पर है - वरीयतः डिजिटल मोड के माध्यम से। सिडबी ने www.udyamimitra.in विकसित किया है, जो एक सार्वभौमिक ऋण बाजार स्थान है इस मंच के द्वारा मुद्रा ऋण (₹.10 लाख तक), स्टैंड-अप इंडिया ऋण (₹. 10 लाख - ₹.100 लाख) और एमएसएमई ऋण (वर्तमान में ₹. 200 लाख तक) प्रदान किया जा रहा है। सिडबी इस क्षेत्र में विभिन्न पहलों के लिए योजना बना रहा है।

सिडबी ने क्रिसिल के सहयोग से एमएसएमई उद्यमों के लिए क्रिसिडेक्स नामक भारत के प्रथम सेंटिमेंट सूचकांक की शुरुआत की है, जो प्रत्येक तिमाही में एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और भावी दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस सूचकांक से हितधारकों, विशेष रूप से नीति-निर्माताओं को समय रहते, इस सर्वेक्षण से प्राप्त होने वाली आरंभिक चेतावनी के आधार पर अतिसक्रिय कदम उठाने की जागरूकता के लिए भी विभिन्न भावी नीतिगत निविष्टियों हेतु सहायता प्राप्त होगी।

देश भर में एमएसएमई से संबंधित हिस्से का बारीकी से पता लगाने एवं निगरानी करने के लिए सिडबी ने ट्रांसयूनियन, सिबिल के साथ मिलकर एमएसएमई ऋण पर आधारित एक तिमाही रिपोर्ट "एमएसएमई पल्स" की शुरुआत की है। यह रिपोर्ट ऋण सहायता प्राप्तकर परिचालनरत उन 5 मिलियन एमएसएमई उद्यमों के अध्ययन पर आधारित है, जिन्हें भारतीय बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा ऋण सुविधाओं के साथ औपचारिक ऋण तक पहुँच हासिल है।

सिडबी मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, मुद्रा और भारत सरकार की इस प्रकार की अन्य विभिन्न योजनाओं में अपना सहयोग प्रदान करता है। भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के विशेष संदर्भ में, सिडबी ने रु. 10,000 करोड़ की 'सिडबी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मेक इन इंडिया सुलभ ऋण निधि' (सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़) (स्माइल) आरंभ की, ताकि एमएसएमई उद्यमों के लिए आवश्यक अर्द्ध इक्विटी के रूप में सुलभ ऋण तथा अपेक्षाकृत सुलभ शर्तों पर परियोजना लागत को पूरा करने हेतु सावधि ऋण उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना के अंतर्गत, सिडबी एमएसएमई उद्यमों को 8.12% के रियायती दर पर सुलभ ऋण प्रदान कर रहा है।

एमएसएमई तक अपनी ऋण पहुंच को और बढ़ाने के लिए, सिडबी ने कई चैनल भागीदारों, जैसे- कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे छोटे वित्त बैंकों आदि के माध्यम से एमएसई ऋण पर ध्यान केंद्रित किया है। सिडबी लगातार विभिन्न रणनीतिक उपायों के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। अल्प वित्त बैंक में परिवर्तित होने वाली लगभग सभी संस्थाओं को सिडबी द्वारा उनकी शुरुआती अवधि और विकास में सहायता मिली है। अल्प वित्त बैंक के रूप में उनकी संवृद्धि के लिए सिडबी अपनी सहायता और संबंधित भूमिका जारी रखेगा। उसी के अनुरूप, बैंक ने अल्प वित्त बैंकों के लिए दो सुविधाओं जैसे - अल्प वित्त बैंक की स्थापना /पूँजीकरण के लिए ईक्विटी /पूँजीगत अंतराल को पूरा करने के लिए ईक्विटी में निवेश और अल्प वित्त संस्था /एनबीएफसी से अल्प वित्त बैंक में रूपांतरण पर पुनर्वित्त की सहायता की शुरुआत की है।
